बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक—8 बजट (1) 14/2025 ......173 (नि)......आ० दिनांक— ......12/03....../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह,भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन,

बिहार।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2025—26 में मुख्य शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,उपमुख्य शीर्ष 03, पशुपालन, लघु शीर्ष 277 शिक्षा, उपशीर्ष 0001 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मांग संख्या—02, विपत्र कोड 02—2415032770001 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 39,16,12,000/— (उनचालीस करोड़ सोलह लाख बारह हजार) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में विभागीय राज्यादेश संख्या 1114 दिनांक 27.02.2026 के आलोक में व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपये 39,16,12,000/— (उनचालीस करोड़ सोलह लाख बारह हजार) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

क्र०सं०	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटित राशि (₹) में
1	2	3	5
1	31—सहायक अनुदान	0001. 31.04— सहायक अनुदान— वेतन	15,68,58,000
2	31—सहायक अनुदान	0001. 31.05— सहायक अनुदान— परिसपत्तियों के निर्माण	12,82,00,000
3	31—सहायक अनुदान	0001. 31.06— सहायक अनुदान— गैर वेतन	10,65,54,000
योग— 02—2415.03.277.0001— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय			**39,16,12,000**
रूपये 39,16,12,000/— (उनचालीस करोड़ सोलह लाख बारह हजार) मात्र।			

2. इस राशि का व्यय चालू वितीय वर्ष 2025—26 में मांग सं0 —2 के अधीन मुख्य शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03, पशुपालन लघु शीर्ष 277 शिक्षा, उपशीर्ष 0001 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मांग संख्या—02, विपत्र कोड 02—2415032770001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार एकमुश्त राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को बी0टी0सी0 फार्म–46 पर पी0एल0 खाता में उपलब्ध करायेंगे।

4. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जायें। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5. कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करा लिया जाय।

6. संगत योजनान्तर्गत 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार बिहार पटना से अवश्य करा लिया जाय।

7. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि सहायक अनुदान गैर वेतन मद–31.06 अन्तर्गत पेंशन हेतु प्रस्तावित राशि का विकलन पेंशन मद में ही किया जाय।

8. कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि पी0एल0 खाता के माध्यम से भुगतान किये गये राशि का Benificiary Payee List (CFMS प्रणाली में उपलब्ध) महालेखाकार कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जाय तथा महालेखाकार कार्यालय से वर्षवार सामंजन उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाय।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 227/वि० दिनांक– 28.03.2025 एवं 235/वि० दिनांक–01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियन 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय। इस राशि का व्यय बजटीय उपबंध के अन्तर्गत समय समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक–8 बजट (1)14/2025 प0पा0 ....173 (नि0)....आ0/ पटना–15, दिनांक–....12..../....03..../2026

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या – टी0 ए0– 57 – 96–97–प0पा0–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, को (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक, पशुपालन ।

दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd